


139



माननीय न्यायालय राज्ज्व मण्डल, न्यायालय केम्प उज्जैन। प्र० प्र०।

प्र० प्र० 108 निगरानीर- 249 - I/09

श्री राम.वान.अमिनापक  
वका उज्जैनकेम्प एट प्रस्तुत  
अ. 24/11/09

- १- बाळमुहून्ड पिता गिरधारीरावके जाति कठार
  - २- सुरेश पिता गिरधारीरावके जाति कठार
- निवासीगण नन्दावता तहसील व जिला मन्सौर  
----- निगरानी कतागिण

विरुद्ध

- १- पिशांशिराव पिता मदनराव निवासी नन्दावता
- २- श्रीपाठ पिता उम्मेकराव निवासी नन्दावता
- ३- भूठाबाई पिता उम्मेकराव पति रंगनाथ कठार  
निवासी सुरेरा तह २तहाम
- ४- कलाबाई पिता उम्मेकराव पति सुखराव कठार  
निवासी दमदम तह मन्सौर
- ५- शकरराव पिता भैरवराव निवासी भावगढ तहसील  
मन्सौर
- ६- गोविन्दराम पिता भैरवराव निवासी भावगढ  
तहसील मन्सौर ----- विपक्षीगण

प्राधान पत्र बन्दगीत धारा ५० प्र० राज्ज्व सक्षिता ।

प्राकीं वपर वायुक्त महीक्य के प्र० प्र० ६२।०४-०५ निगरानी वादेश  
दिनांक १२।१२।०८ से बन्वृष्ट एव दुक्ता होकर निम्न कारणा के  
बाधार पर निगरानी बन्दर अधि प्रस्तुत करते हे ।

माननीय महीक्य,

:- प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य :-

निगरानीकर्ता की और से प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हे कि  
निगरानीकतागिण की मौक्क बटवारे मे मिती मुमि सर्वे क्रमांक १२७७ २कवा  
०-५६६ वारे की विपक्षी क्रमांक २ लायत ४ वदारा अधि रूप से विपक्षी  
क्रमांक १ की विपक्ष कर की तथा विपक्षी प्र० १ वदारा सहायक बन्दीकृत  
वधिकारी कठ प्र० १ मन्सौर के तमका प्र० प्र० १०६।क-६।६७-६८ दिनांक -  
२५।६।६८ के वदारा अपना नामान्तरण करवा लिया जिसकी जानकारी

अ 104

199

157

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
प्रकरण क्रमांक- निगरानी/249/एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाधकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 24/07/2018 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरुचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	